न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 100/2015

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. करणसिंह पुत्र हड़मतसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी दुजाणा तहसील सुमेरपुर		1. खीमाराम पुत्र धन्नाराम जाति मीणा निवासी दुजाणा तहसील सुमेरपुर जिला पाली 2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री रामलाल भाटी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 26-10-18

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 469/2013 खीमाराम बनाम भूरीबाई वगैरा में पारित आदेश दिनांक 29.06.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। चूंकि विधिक रूप से यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 में पोषणीय होती है, अतः अपील को धारा 225 के तहत Considar करते हुए निर्णय पारित किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम साण्डेराव I के खसरा नम्बर 386/2361 की भूमि अपीलाण्ट की खरीदसुदा खातेदारी भूमि है। इस भूमि के पडौस में ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि ग्राम दुजाणा के खसरा नम्बर 760 की आई हुई स्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को कभी भी न्यायालय में तलब ही नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

संख्या 1 की खातेदारी भूमि में आवागमन का मार्ग ग्राम दुजाणा के खसरा नम्बर 758 में से होकर है, किन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाण्ट को क्षति पहुँचाने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं राजस्व अधिकारियों से मिलावट करते हुए विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो अपीलाण्ट की सम्यक तामील करवाई गई एवं न ही अपीलाण्ट को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया गया। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कभी मौका रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं हुई। इन समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन का मार्ग नहीं होने के कारण रेस्पोडेन्ट द्वारा सन्दर्भित धारा के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। उक्त भूमि पूर्व में भूरी बाई की खातेदारी भूमि थी। इस कारण प्रथमतः प्रकरण में भूरीबाई को पक्षकार संयोजित किया गया था। इसके पश्चात अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि क्रय करने के कारण अपीलाण्ट को पक्षकार संयोजित किया गया एवं अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया, जो अपीलाण्ट के पिता से तामील हुआ। इसके बावजूद भी अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की चाराजोही नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन के मार्ग का अभाव होना जाहिर किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता को देखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अतः अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम दुजाणा के खसरा नम्बर 760 में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि ग्राम साण्डेराव I के खसरा नम्बर 386/2361, जो पूर्व में विक्रेता भूरीबाई की खातेदारी भूमि थी, की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। प्रकरण विचारण के दौरान भूरीबाई द्वारा उक्त भूमि अपीलाण्ट को बेचान करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2014 को आदेश पारित करते हुए अपीलाण्ट को पक्षकार संयोजित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलाण्ट के पिता से तामील करवाया गया है, जो कुटुम्ब के व्यस्क सदस्य से तामील होने के कारण सम्यक तामील की परिभाषा में शुमार होने से तामील माना गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा दिनांक 24.04.2015 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, उक्त रिपोर्ट पक्षकारान् की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। विधि अनुसार मौका निरीक्षण हेतु पक्षकारान्को नोटिस जारी किया जाकर उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में इसका अभाव पाया गया है। विधि अनुसार भी जिस

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खातेदार की भूमि में से रास्ता प्रदान किया जाता है, उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। हस्तगत निर्णय राजस्व लोक अदालत केम्प दुजाना में पारित किया गया है, जबकि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के, लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006 (4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " Legal Services Authorities Act 1987, Section 20 - Power of disposal of cases by Lok Adalat - No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok Adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settlement". The former expression means settlement of differences by mutual concessions. It is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, 'compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who, to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element of accommodation on each side. It is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settlement" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat." इसी प्रकार एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतः प्रभावित होता है। उपरोक्त कारणों से हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 469/2013 खीमाराम बनाम भूरीबाई वगैरा में पारित आदेश दिनांक 29.06.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26-10-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली